

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024-25/ 1602

दिनांक : 19/6/2024

दिशा-निर्देश  
(सत्र 2024-25)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं हेतु एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024-25 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र-छात्राओं का विद्यालय आवागमन हेतु एस्कॉर्ट भत्ता देय होता है। सत्र 2024-25 में एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है :-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र-छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित छात्र-छात्राएँ जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुंच पाने में असमर्थ हैं अर्थात् इन्हे घर से विद्यालय व विद्यालय से घर तक इनके अभिभावकों द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹400/- प्रति माह

RajKaj Ref  
7528226



Signature valid

Digitally signed by Avinash  
Chaturvedi  
Designation : State Project Director  
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST  
Reason: Approved

- एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2024 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

- प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	-	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	-	सदस्य सचिव
3. सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED)	-	सदस्य
4. सहायक लेखाधिकारी	-	सदस्य
5. संदर्भ व्यक्ति (CWSN) जिला मुख्यालय	-	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र-छात्राओं का चयन कर एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंसा करेगी।

- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र-छात्राओं हेतु 10 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक CBEO को एवं CBEO द्वारा संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के साथ लिमिट जारी करनी होगी, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें संबंधित को राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2024	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2024	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2025	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल (4 माह)

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र-छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance) की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र-छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।

- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद "Escort Allowance" आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।

- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

#### विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सके।

- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र-छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव

RajKaj Ref  
7528226

Signature valid

Digitally signed by Avinash  
Chaturvedi  
Designation : State Project Director  
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST  
Reason: Approved

नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अखिलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।

- एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र-छात्रा के बैंक खाते में/गंभीर दोष वाले बच्चों के माता-पिता/अभिभावक तथा छात्र-छात्रा के संयुक्त खाते में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बन्धित छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ तथा सीडीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- एस्कॉर्ट भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- पात्र CwSN छात्र-छात्राओं को देय एस्कॉर्ट भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। भत्तों हेतु पात्र बच्चों के आवेदन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
- पात्र छात्र-छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- छात्र-छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले एस्कॉर्ट भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।
- शाला दर्पण पर CwSN विद्यार्थियों को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।

#### मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह अवलोकन किया जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।
- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

#### ➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref  
7528226

Signature valid

Digitally signed by Avinash  
Chaturvedi  
Designation : State Project Director  
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST  
Reason: Approved

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक : 19/6/2024

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024-25/1602

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref  
7528226

Signature valid

Digitally signed by Avinash  
Chaturvedi  
Designation : State Project Director  
Date: 2024.06.19 00:18:54 IST  
Reason: Approved

**राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्**  
**एस्कॉर्ट भत्ता हेतु आवेदन पत्र**

1. नाम छात्र/छात्रा.....लिंग.....
2. पिता का नाम.....मोबाइल.....
3. जन्म तिथि.....कक्षा.....
4. स्थानीय पूर्ण पता.....
5. एस.आर. न०.....दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. पीईईओ/यूसीईईओ.....ब्लॉक.....
7. विद्यालय.....डाईस कोड.....
8. आधार कार्ड नम्बर.....जनआधार नं.....
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा.....IFSC Code.....
10. बैंक का नाम.....
11. वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
12. क्या अन्य पात्र छात्र-छात्राओं के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो छात्र-छात्राओं का नाम.....
13. क्या छात्र-छात्राओं घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया ले जाया जाता है

फोटो मय  
प्रमाणीकरण

हस्ताक्षर अभिभावक

**संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण**

ह० छात्र/छात्रा

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को ₹.....प्रतिमाह एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंघा की जाती है।

हस्ताक्षर  
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य  
मोहर सहित

**कार्यालय उपयोग हेतु**

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय..... को एस्कॉर्ट भत्ता ₹..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर  
नाम पद सहित.....

**शपथ-पत्र**

मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से एस्कॉर्ट भत्ता नहीं लिया जा रहा है।  
हस्ताक्षर अभिभावक

ह० छात्र/छात्रा

RajKaj Ref  
7528226

**Signature valid**

Digitally signed by Avinash  
Chaturvedi  
Designation : State Project Director  
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST  
Reason: Approved

**INCLUSIVE EDUCATION 2024-25**

S.N.	Name of District	Escort Allowance (Rs. 400/ per Month for 10 Months)			
		PHY (ELE.)	FIN. (in Lakh)	PHY. (SEC.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER				
2	ALWAR	275	11.000	183	7.320
3	BANSWARA	900	36.000	425	17.000
4	BARAN	300	12.000	110	4.400
5	BARMER	295	11.800	30	1.200
6	BHARATPUR	130	5.200	100	4.000
7	BHILWARA	200	8.000	150	6.000
8	BIKANER	200	8.000	200	8.000
9	BUNDI	200	8.000	140	5.600
10	CHITTAURGARH	200	8.000	200	8.000
11	CHURU	200	8.000	200	8.000
12	DAUSA	140	5.600	200	8.000
13	DHAULPUR	100	4.000	110	4.400
14	DUNGARPUR	130	5.200	80	3.200
15	GANGANAGAR	80	3.200	90	3.600
16	HANUMANGARH	770	30.800	50	2.000
17	JAIPUR	846	33.840	400	16.000
18	JAISALMER	780	31.200	270	10.800
19	JALOR	180	7.200	310	12.400
20	JHALAWAR	250	10.000	70	2.800
21	JHUNJHUNU	138	5.520	120	4.800
22	JODHPUR	150	6.000	140	5.600
23	KARALI	500	20.000	80	3.200
24	KOTA	200	8.000	250	10.000
25	NAGPUR	154	6.160	200	8.000
26	PALI	254	10.160	55	2.200
27	PRATAPGARH	200	8.000	140	5.600
28	RAJSAMAND	71	2.840	150	6.000
29	SAWAI MADHOPUR	250	10.000	43	1.720
30	SIKAR	300	12.000	80	3.200
31	SIROHI	400	16.000	80	3.200
32	TONK	210	8.400	250	10.000
33	UDAIPUR	140	5.600	150	6.000
	<b>Total</b>	<b>9918</b>	<b>396.72</b>	<b>5326</b>	<b>213.04</b>

RajKaj Ref  
7528226

**Signature valid**

Digitally signed by Avinash  
Chaturvedi  
Designation : State Project Director  
Date: 2024.06.19 10:18:54 IST  
Reason: Approved